

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 485/12
संस्थापन दिनांक:-21/11/12
फाईलिंग नं. 119/2017

मध्यप्रदेश राज्य
 द्वारा वन परिक्षेत्र अधिकारी,
 आमला (सामान्य), जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... अभियोजन

वि रु द्ध

गणेश पिता चिन्ध्या ठाकरे, उम्र 28 वर्ष
 निवासी मोवाड़, थाना आमला,
 जिला बैतूल (म.प्र.)

.....अभियुक्त

—: (नि र्ण य) :—

(आज दिनांक 23.09.2017 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 39(1) तथा धारा 57 के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 26.08.2012 को मोटर सायकिल का क्लच वायर का फंदा लगाकर जंगली सुअर का शिकार किया।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि वन परिक्षेत्र अधिकारी आमला को दिनांक 26.08.2012 मोबाईल पर निर्देश मिले कि भगवतराव ठाकरे निवासी मोवाड़ के खेत में वन्य प्राणी जंगली सुअर का शिकार हुआ है। जिस पर वन परिक्षेत्र अधिकारी मय स्टाफ के मौके पर पहुंचे और भगवतराव ठाकरे के खेत में स्थित मकान की घेराबंदी किये जहां कुछ लोग मकान के सामने और बाईया खाना खा रहे थे। भगवतराव के भाई आंद ठाकरे से पूछताछ करने पर उसने बताया कि वन अधिकारियों को देखकर उसका भाई गणेश भाग गया है। मकान की तलाशी लेने पर मकान के अंदर छपरी में बड़ी पॉलीथिन में बंधी हुई गठरी मिली जिसे खेलकर देखने पर तीन पॉलीथिन बेग में जंगली सुअर का मांस रखा मिला। अभियुक्त गणेश को फोन करके बुलाने पर उससे पूछताछ करने पर उसने बताया कि रात में गन्ना बाड़ी में जंगली सुअर आकर नुकसान करते हैं इसलिए उसने रात को मोटर सायकिल की क्लच वायर का फंदा बनाकर सुअरों के आने जाने वाले रास्ते में लगा दिया था और

सुबह जाकर देखा तो एक जंगली सुअर फंदे में फंसकर मरा पड़ा था। उसने जंगली सुअर के मांस को 50/- रुपये के बांट से बेच दिया। मौके से मांस जप्त किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध वन अपराध प्रकरण क्र. 691/13 पंजीबद्ध किया गया। मौके का नजरी नक्शा, पंचनामा बनाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कथन लेख किये गये। विवेचना पूर्ण कर परिवाद पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष हैं और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 26.08.2012 को मोटर सायकिल का क्लच वायर का फंदा लगाकर जंगली सुअर का शिकार किया ?
2. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

विचारणीय प्रश्न क्र. 01 का निराकरण

5 रामचंद्र कवड़े (अ.सा.-7) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि वह दिनांक 26.08.2012 को वन परिक्षेत्र आमला में परिक्षेत्र सहायक मोवाड़ के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को मुखबिर के द्वारा वन मंडलाधिकारी को सूचना प्राप्त हुई थी कि भगवत ठाकरे के खेत में जंगली सुअर का शिकार करके मांस काटकर बेच रहे हैं। तब रेंजर साहब ने मुझे इस सूचना से अवगत कराया फिर कुछ स्टाफ सिविल ड्रेस में और कुछ स्टाफ ड्रेस में दल गठित करके भगवत के खेत के तरफ रवाना हुए। साक्षी ने आगे यह बताया है कि जब वह खेत पर पहुंचा तब घर के सामने कुछ महिलाएँ और पुरुष खाना खाते मिले। मौके पर भगवत का छोटा भाई आनंद ठाकरे उपस्थित था। उससे पूछताछ की कि तुम्हारे खेत से मांस बेचने की सूचना मिली है तब उसने कहा कि उसे जानकारी नहीं है। मेरा छोटा भाई गणेश आप लोगों को देखकर भाग गया है। राजेंद्र कुमार राजवंशी (अ.सा.-6) ने यह बताया है कि वह मोवाड़ परिक्षेत्र में वन रक्षक के पद पर पदस्थ था। परिक्षेत्र अधिकारी को सूचना प्राप्त हुई कि गणेश के बड़े भाई के खेत में जंगली सुअर का शिकार हुआ है। रेंजर साहब चौकी पर आये थे। फिर टीम गठित करके हम लोग अभियुक्त गणेश के भाई के खेत में पहुंचे। साक्षी ने आगे यह बताया है कि जब मौके पर पहुंचे तब तीन चार मजदूरी और महिलाएँ मिली और अभियुक्त का बड़ा भाई मिला। संतोष कुमारे (अ.

सा.-5) ने यह बताया है कि वह परिक्षेत्र आमला ठानी बीट में वन रक्षक के पद पर पदस्थ था। घटना दिनांक को परिक्षेत्र अधिकारी के साथ ग्राम मोवाड़ में ठाकरे के खेत में गया था। साक्षी ने आगे यह बताया है कि जब वह मौके पर पहुंचा तो कुछ मजदूर खाना खा रहे थे। सुअर के शिकार के बारे में पूछा तो उन्होंने कोई जानकारी न होना बताया।

6 राजेश (अ.सा.-2) ने यह बताया है कि वह दिनांक 26.08.2012 को वन परिक्षेत्र आमला में बीट गार्ड के पद पर पदस्थ था। वह रेंजर, डिप्टी साहब एवं अन्य लोगों के साथ मोवाड़ स्थित भगवतराव के खेत पर गया था। खेत पर बने मकान की चारों ओर से घेराबंदी की गयी। फूलदास (अ.सा.-1) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि वह दिनांक 26.08.2012 को वन रक्षक बीट गार्ड के पद पर पदस्थ था। मौके पर वन विभाग के सभी लोग एक-एक करके अभियुक्त गणेश के खेत पर पहुंचे फिर झोपड़ी में मकान में गये। वहां सामने कुछ लोग घर के अंदर और बाहर खाना खा रहे थे। रेंजर साहब ने उनसे शिकार के संबंध में पूछा तो उन्होंने कोई जानकारी न होना बताया।

7 रामचंद्र कवड़े (अ.सा.-7), राजेंद्र कुमार राजवंशी (अ.सा.-6), संतोष कुमारे (अ.सा.-5), राजेश (अ.सा.-2) एवं फूलदास (अ.सा.-1) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि उन लोगों ने खेत पर बने मकान की तलाशी ली थी तब तीन पन्नियों में मांस मिला जो कि सुअर का था और चार किलो था। राजेंद्र कुमार राजवंशी (अ.सा.-6) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह भी बताया है कि मांस के साथ-साथ एक कुल्हाड़ी भी मिली थी। उपर्युक्त साक्षीगण ने यह भी बताया है कि मौके पर अभियुक्त गणेश का भाई आनंद था जिसने फोन करके अभियुक्त गणेश को बुलवाया था। उपर्युक्त साक्षीगण ने यह भी बताया है कि जब गणेश आया तो उसने अपना अपराध स्वीकार किया और बताया कि उसके द्वारा रात में मोटर सायकिल के क्लच वायर से गन्नाबाड़ी के रास्ते पर फंदा लगाया गया था। फिर मैंने नीमझिरी गांव के एक व्यक्ति को बताया कि मैंने जंगली सुअर मारा है। फिर उन लोगों के सहयोग से सुअर को काटकर 50/- रुपये के हिसाब से बेच दिया। बाकी बचा था उसे घर की छपरी में रखा है।

8 रामचंद्र कवड़े (अ.सा.-7) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि उसके द्वारा मौके का पंचनामा (प्रदर्श पी-10) जप्ती पंचनामा (प्रदर्श पी-4) तथा मांस की नपाई पंचनामा (प्रदर्श पी-6) तैयार किया गया था। राजेंद्र राजवंशी (अ.सा.-6) ने यह बताया है कि अभियुक्त गणेश को मांस सहित गिरफ्तार करके ले आये थे और मौके का पंचनामा (प्रदर्श पी-2) तैयार किया गया था जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। संतोष कुमारे (अ.सा.-5) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि मौके का पंचनामा (प्रदर्श पी-3) एवं तलाशी पंचनामा (प्रदर्श पी-4) उसके सामने तैयार किया गया था जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। राजेश (अ.सा.-2) ने यह बताया है कि घटना स्थल का

पंचनामा (प्रदर्श पी-2) एवं मांस का नपाई पंचनामा (प्रदर्श पी-6) उसके सामने तैयार किया गया था जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। फूलदास (अ.सा.-1) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि घटना दिनांक को मौके पर उसके द्वारा अभियुक्त के कब्जे से जंगली सुअर का लगभग चार किलो मांस जप्त कर जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी-1) एवं मौका पंचनामा (प्रदर्श पी-2) तैयार किया गया था। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श पी-3) एवं तलाशी पंचनामा (प्रदर्श पी-4) तैयार किया गया। मौके पर ही मांस नपाई का पंचनामा तैयार किया गया जो (प्रदर्श पी-6) है जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। मौके पर मांस को नापने पर मांस लगभग चार किलो 100 ग्राम निकला था।

9 राजेंद्र कुमार राजवंशी (अ.सा.-6) ने यह बताया है कि घटना दिनांक एवं दूसरे दिन अभियुक्त से पूछताछ की गयी कि उसने किस स्थान पर फंसा लगाया तथा उसे घटना के दूसरे दिन घटना स्थल पर लेकर गये जहां हमने देखा कि फंसा लगा स्थान काफी अस्त व्यस्त था। झाड़ फूस टूटी फूटी पाई गयी। जिस स्थान पर अभियुक्त ने जंगली सुअर को काटा था, वहां पानी के नाले के किनारे जंगली सुअर के बाल एवं अंगार के अवशेष मिले। बारिश होने से बाकी चीजें बह गयी थी। घटना स्थल का पंचनामा (प्रदर्श पी-7) है जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। रामचंद्र कवड़े (अ.सा.-7) ने यह बताया है कि घटना स्थल का पंचनामा (प्रदर्श पी-7) उसके द्वारा तैयार किया गया था। साथ ही नजरी नक्शा (प्रदर्श पी-14) एवं मांस नष्ट करने का पंचनामा (प्रदर्श पी-15) बनाया गया जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। संतोष कुमरे (अ.सा.-5) ने यह बताया है कि उसके सामने घटना स्थल का पंचनामा (प्रदर्श पी-5) तैयार किया गया था जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। राजेश (अ.सा.-2) ने यह बताया है कि मांस नपाई पंचनामा (प्रदर्श पी-6), घटना स्थल का पंचनामा (प्रदर्श पी-7) उसके सामने तैयार किया गया था जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। फूलदास (अ.सा.-1) ने यह बताया है कि घटना स्थल का पंचनामा (प्रदर्श पी-7) तैयार किया गया था जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा मौके पर अभियुक्त गणेश के विरुद्ध पीआरओ क्र. 691/13 जारी किया गया था जो कि (प्रदर्श पी-8) है जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। इसी साक्षी का कहना है कि अभियुक्त के कब्जे से मांस, कुल्हाड़ी, मोटर सायकिल का क्लच वायर जप्त किया गया था।

10 कमल (अ.सा.-4) जो कि प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी है, उसके द्वारा अभियोजन का किंचित मात्र समर्थन नहीं किया गया है। साक्षी ने यह भी बताया है कि उसके सामने वन विभाग वालो ने कुछ जप्त नहीं किया था लेकिन जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी-1) एवं मौका पंचनामा (प्रदर्श पी-9) पर उसके हस्ताक्षर हैं। मनोज (अ.सा.-3) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि वह घटना के समय वन चौकी मोवाड़ में सुरक्षा श्रमिक का कार्य करता था। घटना दिनांक को वह तथा संतोष कुमरे भगवत ठाकरे के घर पर तलाशी लेने के लिए गये थे वहां कुछ नहीं मिला था। फिर वह

चौकी वापस आ गये थे और बाकी लोग भगवत ठाकरे के खेत पर चले गये थे। साक्षी ने आगे यह बताया है कि उसे वन अधिकारियों ने कहा था कि कागजों पर हस्ताक्षर कर दो तो उसने कर दिये थे। उसके सामने कोई भी पंचनामा नहीं बनाया गया था लेकिन मौका पंचनामा (प्रदर्श पी-10) और जप्ती पंचनामा (प्रदर्श पी-1) पर उसके हस्ताक्षर हैं। उपर्युक्त साक्षीगण से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर भी अभियोजन के समर्थन में कोई तथ्य प्रकट नहीं किये हैं तथा साक्षी कमल (अ.सा.-4) ने प्रतिपरीक्षण में सुझाव दिये जाने पर यह बताया है कि वन विभाग वालो ने उसके सामने कोई कार्यवाही नहीं की थी। आफिस पर कुछ कागजों पर उसके हस्ताक्षर लिये थे तथा साक्षी मनोज (अ.सा.-3) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उसके सामने कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। घटना के समय वह चौकी पर था। मांस की कोई जप्ती नहीं हुई थी। वरिष्ठ अधिकारियों के कहने पर हस्ताक्षर किये थे। इस सुझाव को गलत बताया है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि किन कागजों पर हस्ताक्षर लिये जा रहे हैं। स्वतः कहा कि उसे बताया था कि सुअर का केस बना है उस पर हस्ताक्षर ले रहे हैं। इस प्रकार अभियोजन को उपर्युक्त साक्षीगण से कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

11 रामचंद्र कवड़े (अ.सा.-7), राजेंद्र कुमार राजवंशी (अ.सा.-6), संतोष कुमरे (अ.सा.-5), राजेश (अ.सा.-2), फूलदास (अ.सा.-1) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि जब वे मौके पर गये थे तब अभियुक्त गणेश के घर से पन्नी में कटा हुआ मांस मिला था। अभियुक्त गणेश ने अपना अपराध स्वीकार किया था। उसके बताये अनुसार घटना स्थल पर पहुंचे थे तब मौके से कुल्हाड़ी, मोटर सायकिल का क्लच वायर भी जप्त किया था। प्रतिपरीक्षण में उपर्युक्त साक्षियों ने यह बताया है कि उन्होंने अभियुक्त को शिकार करते हुए नहीं देखा था। न ही उसे मांस बेचते हुए देखा था और जब मौके पर मांस की जप्ती की जा रही थी तब अभियुक्त गणेश वहां उपस्थित नहीं था।

12 रामचंद्र कवड़े (अ.सा.-7) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि जिस स्थान से सुअर का मांस जप्त हुआ था वह स्थान अभियुक्त गणेश का मकान है या उसके आधिपत्य में है ऐसे कोई दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किये हैं। इस सुझाव को भी सही बताया है कि पूरी जांच के दौरान किसी भी साक्षी ने यह नहीं बताया था कि अभियुक्त ने सुअर का शिकार किया था। राजेंद्र कुमार राजवंशी (अ.सा.-6) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि जिस झोपड़ी से मांस जप्त किया गया था वह झोपड़ी में अभियुक्त गणेश ही रहता था ऐसे कोई दस्तावेज न तो मौके पर जप्त किये गये और न ही अभिलेख पर संलग्न है। फूलदास (अ.सा.-1) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि मकान जहां से मांस जप्त किया गया था वह अभियुक्त का था इस संबंध में कोई दस्तावेज अभिलेख पर नहीं है। स्वतः मैं बताया कि खेत उन्हीं का था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह भी बताया है कि अभियुक्त गणेश के घर में

पालीथिन में मांस किसने लाकर रखा था इस बात की जानकारी उन्हें नहीं है। अभियुक्त गणेश के घर के अंदर गणेश को किसी ने मांस रखते हुए भी नहीं देखा था।

13 राजेंद्र कुमार राजवंशी (अ.सा.-6) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि मकान में तीन गठरी एवं कुल्हाड़ी मिली थी और जब घटना के दूसरे दिन अभियुक्त के साथ मौके पर पहुंचे थे तब वहां पर जंगली सुअर के बाल और अंगार के अवशेष मिले थे। बाकी चीजें बारिश होने के कारण बह गयी थी। जबकि फूलदास (अ.सा.-1) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि घटना दिनांक को अभियुक्त के घर के अंदर क्लच वायर या कुल्हाड़ी नहीं मिली थी। स्वतः में साक्षी ने कहा कि घटना के दूसरे दिन स्थल निरीक्षण के दौरान क्लच वायर, बाल और कुल्हाड़ी मिली थी।

14 रामचंद्र कवड़े (अ.सा.-1) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि जिस समय मांस की जप्ती की गयी थी उस समय अभियुक्त गणेश उपस्थित नहीं था। जांच के दौरान ऐसा कोई गवाह नहीं मिला जिसने अभियुक्त गणेश को फंदा लगाते हो देखा हो, शिकार करते देखा हो या सुअर काटते देखा हो। इस सुझाव को भी सही बताया है कि जिस स्थान पर सुअर का शिकार हुआ था वहां कोई जानवर नहीं आ सकता क्योंकि खेत मालिक ने चारों तरफ से बागुड़ बनाकर रखा है। राजेंद्र कुमार राजवंशी (अ.सा.-6) प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि घटना के समय बारिश का मौसम था जिसके कारण मौके पर कोई भी अवशेष रहना संभव नहीं था। साक्षी ने स्वतः में कहा कि मिट्टी पर जो बाल वगैरह रह गये थे वह शेष थे। संतोष कुमरे (अ.सा.-5) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि जिस समय वे स्थल निरीक्षण के लिए मौके पर पहुंचे थे तब वहां पर सुअर के बाल या कोई अन्य अंग नहीं मिला था। इस सुझाव को सही बताया है कि वन विभाग की ओर से मौका स्थल को सीलबंद नहीं किया गया था। इस सुझाव को भी सही बताया था कि इतना तेज पानी आया था कि वहां पर किसी को भी छोड़ना संभव नहीं था। फूलदास (अ.सा.-1) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि मौके पर जप्तशुदा मांस को सीलबंद नहीं किया गया था। मांस नपाई कार्यालय आमला में की गयी थी। इस सुझाव को सही बताया है कि जांच के दौरान ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला था जिसने मांस खरीदा हो।

15 बचाव पक्ष के द्वारा बचाव में स्वयं अभियुक्त गणेश ठाकरे (ब.सा.-1) को परीक्षित कराया गया है। गणेश ठाकरे (ब.सा.-1) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि घटना दिनांक को वन विभाग वाले आये थे और कहा कि सूचना मिली है कि तुम्हारे घर में शिकार हुआ है। इसके बाद उसके घर की तलाशी ली गयी परंतु घर पर शिकार का सामान या मांस नहीं मिला। फिर वन विभाग के कर्मचारी वापस चले गये और दो-तीन घंटे बाद वापस आये और कहा कि तुम्हारे खेत से मांस मिला है। फिर उसे खेत लेकर गये जहां पर लगभग 20-25 मजदूर काम कर रहे थे। मैंने वन विभाग वालों से कहा कि मैंने कोई शिकार नहीं किया है खेत में मांस कहां से आया।

हम मांस खाते भी नहीं है। मैं 17 वर्षों से गायत्री परिवार का अनुयायी हूँ। इसके बाद वन विभाग वालों ने मुझसे कुछ कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिए और मुझे पढ़ने भी नहीं दिया। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि वह दसवी तक पढ़ा लिखा है और दस्तावेज पढ़ने के बाद ही हस्ताक्षर करता है। साक्षी ने मौका पंचनामा, जप्ती पंचनामा, गिरफ्तारी पत्रक एवं अन्य दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षरों को स्वीकार किया है। इस सुझाव को गलत बताया है कि वह मांस खाता है। उसके खेत में जंगली सुअर का आना-जाना है। उसने जंगली सुअर को फंदा लगाकर मारा और मांस बेच दिया था। इस सुझाव को गलत बताया है कि वह झूठे कथन कर रहा है।

16 रामचंद्र कवड़े (अ.सा.-7), राजेंद्र कुमार राजवंशी (अ.सा.-6), संतोष कुमार (अ.सा.-5), फूलदास (अ.सा.-1) सभी वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी हैं। उपर्युक्त साक्षीगण ने खेत पर बने अभियुक्त गणेश के मकान से मांस का जप्त किया जाना बताया है। मांस जप्ती के समय घर पर अभियुक्त गणेश का न होना बताया है। अभियोजन कथा अनुसार यह सूचना प्राप्त हुई थी कि भागवत ठाकरे के खेत में जंगली सुअर का शिकार करके मांस बेचा जा रहा है परंतु अभियोजन की ओर से ऐसे कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये हैं कि खेत और खेत पर बना मकान अभियुक्त गणेश का है या उसका उस खेत और मकान पर आधिपत्य है। ऐसी भी साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है कि जहां से मांस जप्त किया गया था वह एकमात्र अभियुक्त गणेश के आधिपत्य का है। अभिलेख पर ऐसी भी साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त को किसी ने फंदा लगाते या सुअर का शिकार करते या उसका मांस काटते हुए देखा हो। साक्षी राजेंद्र कुमार राजवंशी (अ.सा.-6) ने यह बताया है कि घटना स्थल पर सुअर के बाल एवं अंगार के अवशेष मिले थे बाकी चीजें बारिश होने के कारण बह गयी थी। जबकि साक्षी फूलदास (अ.सा.-1) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि घटना स्थल पर क्लच वायर, बाल और कुल्हाड़ी पाये गये थे। जबकि साक्षी संतोष कुमारे (अ.सा.-5) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि मौके पर सुअर के बाल या कोई अन्य अंग नहीं मिला था।

17 साक्षी राजेंद्र कुमार राजवंशी (अ.सा.-6) ने यह भी बताया है कि जिस घर से मांस जप्त हुआ था वहां तीन गठरी और कुल्हाड़ी भी मिली थी। जबकि अन्य साक्षीगण ने यह बताया है कि घटना के दूसरे दिन घटना स्थल से क्लच वायर और कुल्हाड़ी जप्ती हुई थी। इस प्रकार अभियोजन साक्षी जो कि वन विभाग के ही कर्मचारी हैं, उनके कथनों में पर्याप्त विरोधाभास हैं। साथ ही क्लच वायर एवं कुल्हाड़ी के अतिरिक्त किसी भी सामग्री की जप्ती नहीं हुई है। यह अत्यन्त अस्वाभाविक है कि यदि घटना के समय अत्यन्त बारिश हो रही हो तथा बारिश के कारण सुअर के बाल के अतिरिक्त अन्य सभी सामान बह जाये। अभिलेख पर ऐसी भी कोई साक्ष्य नहीं है कि किसी ने अभियुक्त गणेश को सुअर का शिकार या उसे काटकर उसका मांस बेचते हुए देखा हो। सुअर का मांस अभियुक्त के आधिपत्य से जप्त भी नहीं किया

गया है। मांस जप्ती के समय जप्ती नामा भी अभियुक्त के समक्ष तैयार नहीं किया गया है। मांस जप्त किये जाते समय मौके पर अभियुक्त गणेश उपस्थित भी नहीं था। जिस मकान से मांस जप्त किया गया है उस मकान पर एकमात्र अभियुक्त गणेश के आधिपत्य या स्वत्व के संबंध में कोई दस्तावेज भी अभिलेख पर नहीं है और न ही ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है कि किसी ने अभियुक्त गणेश को मकान पर मांस लाकर रखते हुए देखा हो। अतः इन परिस्थितियों में अभियोजन का मामला संदेहास्पद हो जाता है जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

विचारणीय प्रश्न क. 02 का निराकरण

18 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर मोटर सायकिल का क्लच वायर का फंदा लगाकर जंगली सुअर का शिकार किया। फलतः अभियुक्त गणेश को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 39(1) तथा धारा 57 के आरोप में दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

19 प्रकरण में जप्त सुदा मोटर सायकिल का क्लच वायर का फंदा एवं एक कुल्हाड़ी वन विभाग की अभिरक्षा में है। वन विभाग के नियमानुसार जप्त सुदा क्लच वायर एवं कुल्हाड़ी का निराकरण किया जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार संपत्ति का निराकरण किया जावे।

20 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

21 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित । तथा

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)